Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2014
(PHALGUNA 3, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd February, 2014

No. 9—HLA of 2014/10.-- The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :--

Bill No. 9—HLA of 2014

THE PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:---

Short title.

1. This Act may be called the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Act, 2014.

Amendment of Section 2 of Punjab Act 1 of 1953.

2. After clause (1) of section 2 of the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:--

'(1a) "abadi deh" means the area falling within circular road around village abadi also commonly known as phirni, fixed at the time of

consolidation under the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1949 framed under the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948) :

Provided that in case phirni as mentioned above, has not been fixed under the said Act, then abadi-deh shall mean the area falling within lal dora'.

Amendment of section 15 of Punjab Act 1 of 1953.

3. In Section 15 of the principal Act,--

(i) in clause (e), for the sign "." Existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(ii) after clause (e), the following clause shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 30th October, 2012, namely :--

"(f) any area comprised in the abadi deh of any village.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In year 2003, section 15(e) of Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (hereinafter referred as to Act No. 1 of 1953) was amended to exclude from the purview of Act *ibid*, area adjacent to abadi area of any village which Government identifies for village expansion through notification subject to the condition that such area shall not exceed 60% of the existing village abadi area. However, during implementation of said provision, Department of Town & Country Planning faced practical problems. As a result section 15(a) Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 was omitted *vide* Notification No. Leg. 34/2012 dated 30/10/2012. Omission of section 15(a) of Act No. 1 of 1953 has subjected 'abadi deh' of villages falling in periphery controlled area declared under Act *ibid* to the provisions of said Act. The intention of Government was only to omit provisions relating to expansion of village abadi to the extent of 60% of original village abadi. In view of above, provisions relating to exemption of village abadi from the operation of Act No. 1 of 1953 needs to be restored.

2. Further, term 'abadi deh' of village has not been defined under the Act No. 1 of 1953. In fact, abadi deh has not been defined even in Punjab Land Revenue Act, 1887 or Punjab Village Common Land (Regulation) Act, 1961 or the East Punjab Holding (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (hereinafter referred to as Act of 1948). In absence of definition of word 'abadi deh', Department of Town & Country Planning is treating the area falling within lal dora to be co-terminus with the area falling within the abadi deh. As a result, construction raised by rural inhabitants within lal dora as well as beyond lal dora but within phirni fixed at the time of consolidation under Act of 1948, was constructed as unauthorised construction, thus causing undue hardship to rural population.

3. As already stated above, general view in the Department of Town & Country Planning is that abadi deh is confined to lal dora only. However, Hon'ble Tribunal constituted under section 12(C) of Punjab Scheduled Roads and Controlled areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (hereinafter referred to as Act of 1963) in appeal No. 24/2000 titled as Pritam Singh *versus* Director, Town and Country Planning, Haryana has laid that abadi deh is area comprised within phirni of the village.

4. The aforesaid orders of Hon'ble Tribunal were upheld by Hon'ble High Court in CWP No. 7560 of 2001 titled as State of Haryana *versus* Pritam Singh.

5. The SLP No. 18561 of 2001 filed against the orders of Hon'ble High Court was dismissed as withdrawn. Thus, the aforesaid orders of Hon'ble Tribunal have attained finality.

In view of above decision of Hon'ble Tribunal/Courts and also to remove ambiguity in respect of construction raised by rural inhabitants within lal dora of villages falling within Periphery Controlled Area as well as beyond lal dora but within phirni fixed at the time of consolidation proceedings under Act of 1948, it is necessary to define word 'abadi deh' in the Act No. 1 of 1953 in consonance with the judicial pronouncements discussed above and provisions of Act of 1948.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: SUMIT KUMAR,
The 22nd February, 2014. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 9 - एच०एल०ए०

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— 1953 का पंजाब अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन।

'(1क) "आबादी देह" से अभिप्राय है, पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) के अधीन बनाए गए पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) नियम, 1949 के अधीन चकबंदी के समय निर्धारित फिरनी के रूप में भी सामान्य रूप से ज्ञात गांव आबादी के चारों ओर सर्कुलर रोड के भीतर आने वाला क्षेत्र :

परन्तु यदि ऊपर यथा वर्णित फिरनी, उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित नहीं की गई है, तो आबादी देह से अभिप्राय होगा, लाल डोरे के भीतर आने वाला क्षेत्र;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में, — 1953 का पंजाब अधिनियम 1 की धारा 15 का संशोधन।

(i) खण्ड (ङ) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा तथा 30 अक्तूबर, 2012 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(च) किसी गांव की आबादी देह में समाविष्ट कोई क्षेत्र।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्ष 2003 में, पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (जिसे, इसमें, इसके बाद 1953 के अधिनियम नं० 1 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 15 (क) को किसी गांव के आबादी क्षेत्र के निकटवर्ती ऐसे क्षेत्र को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र से निकालने के लिए संशोधित किया गया था जिसकी सरकार ने अधिसूचना द्वारा गांव के विस्तार के लिए इस शर्त के साथ पहचान की थी कि ऐसा क्षेत्र विद्यमान ग्राम आबादी क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तथापि, उक्त उपबन्ध के लागूकरण के दौरान, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ने वास्तविक समस्याओं का सामना किया। जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 की धारा 15(क) को अधिसूचना संख्या लैज 34/2012, दिनांक 30-10-2012 द्वारा, लोप कर दिया गया था। 1953 के अधिनियम की धारा 15 (क) के विलोपन से पूर्वोक्त अधिनियम के तहत घोषित परिधि नियन्त्रित क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की 'आबादी देह' भी पूर्वोक्त अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र में आ गई हैं। सरकार की मंशा मूल ग्राम आबादी की 60 प्रतिशत की सीमा तक ग्राम आबादी के विस्तार से सम्बन्धित उपबन्ध का ही लोप करना था। उपरोक्त के दृष्टिगत, 1953 के अधिनियम नं० 1 के प्रवर्तन से ग्राम आबादी की छूट से सम्बन्धित उपबन्ध को पुनः स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

2. इसके अतिरिक्त, गांव के 'आबादी देह' शब्द को 1953 के अधिनियम नं० 1 के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में, आबादी देह को पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 या पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 या पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद 1948 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में परिभाषित नहीं किया गया है। 'आबादी देह' शब्द की परिभाषा के अभाव में, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 'लाल डोरा' में पड़ने वाले क्षेत्र को ही आबादी देह माना जाता रहा है। परिणामस्वरूप लाल डोरे के भीतर तथा लाल डोरे के बाहर, किन्तु 1948 के अधिनियम के अधीन चकबन्दी के समय पर नियत फिरनी के भीतर, ग्रामीण निवासियों द्वारा किये गये निर्माणों को अनधिकृत निर्माण माना जाता रहा है जिससे ग्रामीण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अवधारणा में आबादी देह केवल लाल डोरा में परिसीमित है। यद्यपि, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (जिसे, इसमें, इसके बाद 1963 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 12(ग) के अधीन गठित माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 24/2000 शीर्षक प्रीतम सिंह बनाम निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना, हरियाणा में माना है कि आबादी देह उस गांव की फिरनी के भीतर समाविष्ट क्षेत्र है।

4. माननीय अधिकरण के पूर्वोक्त आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 7560/2001 शीर्षक हरियाणा राज्य बनाम प्रीतम सिंह में परिपुष्ट किया है।

5. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध दायर एस.एल.पी. संख्या 18561/2001 जो वापस लेने उपरान्त खारिज कर दी गई। इस प्रकार, माननीय अधिकरण के पूर्वोक्त आदेशों ने अन्तिमता प्राप्त कर ली है।

माननीय अधिकरण/न्यायालयों के उपरोक्त निर्णय तथा परिधि नियन्त्रित क्षेत्र के भीतर आने वाले गांव में ग्रामीणों द्वारा लाल डोरे के अन्दर तथा लाल डोरे के बाहर किन्तु 1948 के अधिनियम के अधीन चकबन्दी कार्यवाही के समय पर नियत फिरनी के भीतर पड़ने वाले निर्माण के सम्बन्ध में अस्पष्टता को दूर करने के लिए उपरोक्त विवेचित न्यायिक निर्णयों के अनुकूल में तथा 1948 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप 1953 के अधिनियम नं० 1 में 'आबादी देह' शब्द परिभाषित करना आवश्यक है।

अत: यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 22 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।